कार्यालय, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर (छ.ग.)

कमांक/प्रवास/ऋण वसूली कक्ष/2022–23/ 5423 रायपुर, दिनांक.....

29 MAR 2023

प्रति,

सी.बी.एस. कक्षाधिकारी
मुख्य कार्यालय, रायपुर

विषय :– पूर्ववर्ती जिला सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वितरित कालातीत ऋणो की वसूली के लिए एकमुश्त समझौता योजना 2023 अंतर्गत बैंक के अधिकृत बेबसाइट मे सूचना का प्रकाशन करने बाबत् ।

संदर्भः– पंजीयक का पत्र क./साख–2/न.क 34–II/2023/498, नया रायपुर,दि. 03.02.2023

––0––

संदर्भित पत्रानुसार पूर्ववर्ती जिला सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक के कालातीत ऋणी हितग्राहियों के ऋणों की वसूली के लिए एक मुश्त समझौता की सूचना का प्रकाशन कर बैंक अधिकृत बेवसाइट में प्रदर्शित किया जाना हैं ।

अतएव निर्देर्शित किया जाता हैं कि उक्त सूचना का प्रकाशन हितग्राहियों के जानकारी हेतु बैंक के अधिकृत बेवसाइट में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें। सुलभ संदर्भ हेतु पंजीयक महोदय का पत्र संलग्न हैं ।

संलग्प– यथोपरि

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,
रायपुर

कार्यालय पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
दूरभाष : 0771–2511920, फैक्स नं. 2511918, ईमेल – rcs.coop@nic.in

क्रमांक / साख–2 / न.क्र.34–II / 2023 / 498 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक : 03.02.2023

प्रति,

1. प्रबंध संचालक.
   छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित,
   रायपुर.
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
   जिला सहकारी बैंक मर्यादित, (समस्त)

.....

विषय :– **पूर्ववर्ती जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वितरित कालातीत ऋणों के लिए एकमुश्त समझौता योजना लागू करने बाबत्।**

———000———

उपरोक्त विषयान्तर्गत पूर्ववर्ती जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वितरित कालातीत ऋणों की वसूली कर पुनः साख चक्र में लाने एवं संविलियन पश्चात परिणामी बैंकों के गैर निष्पादित आस्तियों के स्तर में कमी लाने के उद्देश्य से एकमुश्त ऋण राहत योजना की स्वीकृति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एवं अन्य बैंकों के प्रस्तावों पर विचार पश्चात **"पूर्ववर्ती जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा कृषकों को वितरित ऋणों की वसूली के लिए एकमुश्त समझौता योजना 2023"** की स्वीकृति इस शर्त पर दी जाती है कि संबंधित जिला राहकारी केन्द्रीय बैंक योजना की क्रियान्वित संस्था के संचालक मण्डल द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा अंगीकार करने के पश्चात करेंगे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।
("पूर्ववर्ती जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा कृषको को वितरित ऋणों की वसूली के लिए एकमुश्त समझौता योजना 2023" की प्रति)

(नरेन्द्र कुमार दुग्गा)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक / साख–2 / न.क्र.34–II / 2023 / 498 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक : 03.02.2023

प्रतिलिपि :–

संयुक्त / उप / सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, ...(समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

एकमुश्त समझौता योजना, 2023

पूर्ववर्ती जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का विलय राज्य शासन के निर्णय उपरान्त छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर एवं राज्य के 06 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में कर दिया गया है। इन बैंकों द्वारा कृषकों को वितरित अत्यधिक पुराने ऋण एवं गैर निष्पादित/अनर्जक अस्तियों (एन.पी.ए.) में वर्गीकृत हो जाने से संविलियन पश्चात् परिणामी बैंकों की अनर्जक अस्तियों में वृध्दि हुई तथा बैंकों के वित्तीय पत्रकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पूर्ववर्ती जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की अनर्जक खातों में काफी मात्रा में राशि अवरूध्द हैं तथा पुनः परिचालन में नहीं आ पा रही है। ऐसे ऋण खातों में अवरूध्द बकाया राशि को बैंकों से प्राप्त प्रस्ताव के अनुक्रम में एकमुश्त समझौता योजना के दायरे में लाकर वसूली करते हुए पुनः साख–चक्र में लाने के उद्देश्य से यह योजना स्वीकृत की जा रही है। योजना के प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार हैं :–

(1) **योजना का नाम :–** इस योजना को **"पूर्ववर्ती जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा कृषकों को वितरित ऋणों की वसूली के लिए एकमुश्त समझौता योजना 2023"** के नाम से जाना जाएगा।

(2) **उद्देश्य :– इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है :–**

i. बैंक के अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण की वसूली कर राशि को पुनः साख–चक्र में लाना।
ii. गैर निष्पादित/अनर्जक अस्तियों (एन.पी.ए.) में कमी लाना, ताकि बैंकों को परिचालनात्मक लाभ में से समुचित प्रावधान करने की आवश्यकताओं से छुटकारा मिलने के साथ–साथ बैंक की लाभ एवं निधियों में वृद्धि हो।
iii. ऋण की वसूली पर होने वाले व्यय को कम करने के साथ–साथ इस कार्य में लगे हुए कर्मचारियों को बैंकिंग कार्य में नियोजित कर बैंक की कार्य दक्षता में वृद्धि लाना।
iv. ऐसे ऋणी, जिनकी अचल सम्पत्ति ऋण की जमानत स्वरूप रहन रखी हुई है एवं ऋण समय पर नहीं चुका पाने के कारण अचल सम्पत्ति पर डिक्री जारी हो चुकी है, के इस प्रकार के ऋणों को इस योजना में सम्मिलित करते हुए उन्हें पुनः अपनी सम्पति प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के साथ–साथ वसूली से सम्बन्धित कानूनी मामलों में कमी लाना।
v. ऐसे ऋणी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या ऋणी का काफी लम्बे समय से कोई अता–पता नहीं है, के प्रकरण में उनके उत्तराधिकारी/प्रतिभू (गारण्टर) को बैंक ऋण चुकाने का अवसर प्रदान करना।
vi. ऐसे ऋण, जिसमें सम्पतियां प्रतिभूति के रूप में रखी गयी हैं तथा उनका ह्रास हो गया है या वे आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं हैं, के लिए राहत देते हुए ऋण की वसूली सुनिश्चित करना।

(3) **योजना का कार्यक्षेत्र :–**

योजना के कार्यक्षेत्र में पूर्ववर्ती जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा कृषकों को वितरित कालातीत ऋण शामिल होंगे।

(4) योजना की अवधि :–

बैंक द्वारा योजना लागू होने के पश्चात् यथासंभव प्रथम त्रैमास में ही सभी प्रकरणों का निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा किन्तु योजना की प्रवर्तन अवधि जारी दिनांक से दिनांक 31.03.2024 तक होगी।

(5) योजनान्तर्गत पात्रता निर्धारण :–

योजना के अंतर्गत निम्न प्रकार के ऋण प्रकरण शामिल होंगे :–

पूर्ववर्ती जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा कृषकों को वितरित ऋण जो दिनांक 31.03.2022 पर 06 वर्ष से अधिक कालातित एवं संदिग्ध हो गये हो एवं जिनके विरूध्द बैंक द्वारा शत् प्रतिशत प्रावधान किया जा चुका हो।

(6) योजनान्तर्गत अपात्र ऋण प्रकरण :–

i. गबन–धोखाधड़ी एवं जानबूझकर चूककर्ता के प्रकरण।
ii. ऋण का दुरूपयोग अर्थात् ऋण जिस उद्देश्य हेतु लिया गया है, उसके अलावा अन्य कारणों पर ऋण का उपयोग किया गया हो।
iii. पूर्ववर्ती जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के तत्कालीन बोर्ड के सदस्यों के प्रकरण।

(7) योजनान्तर्गत पात्रता के लिये वसूली प्रयासों की स्थिति :–

योजनान्तर्गत किसी प्रकरण को शामिल करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंक द्वारा वसूली के सामान्य प्रयासों से ऋण प्रकरण में वसूली संभव नहीं हो पाई है तथा ऋणी को समय–समय पर तकाजा पत्रों, व्यक्तिगत संपर्कों के अलावा वसूली हेतु छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 अथवा अन्य सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी हो तथा प्रक्रियाधीन हो।

इसी दौरान ऋणी को समझाईश का मौका दिया जाने के बतौर एकमुश्त समझौते का विकल्प चुनने का अवसर दिया जाना होगा। अगर ऋणी द्वारा इस अवसर का लाभ नहीं उठाया जाता है तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 अथवा अन्य सुसंगत कानूनी प्रक्रिया (जो भी लागू हो) के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही जारी रहेगी।

(8) योजनान्तर्गत राहत का निर्धारण (सैटलमेंट फार्मूला) :–

समझौता राशि = (एन.पी.ए. वर्गीकरण दिनांक पर कुल बकाया ऋण अथवा समझौता दिनांक पर कुल बकाया ऋण, दोनों में से जो भी कम हो) + (उक्त कुल बकाया ऋण पर 06 प्रतिशत साधारण ब्याज)

टीप :– समझौता दिनांक तक ऋण खाते में अधिभारित दण्ड ब्याज, विधिक व्यय एवं अन्य व्यय की छूट भी बैंक द्वारा दी जाएगी।

(9) योजनान्तर्गत एकमुश्त समझौता सम्पन्न राशि का भुगतान :–

i. समझौता में वसूली योग्य राशि एकमुश्त में वसूल की जाएगी। यदि ऋणी एक किश्त में भुगतान नहीं कर सकता है तो उसे समझौता निष्पादन दिनांक से 15 दिवस के भीतर कम से कम 25 % राशि तथा शेष राशि 10 माह के भीतर 10 समान किश्तों में जमा करना होगा, जिस पर उसे उपरोक्त समझौता निष्पादन दिनांक से अंतिम भुगतान दिनांक तक समान प्रकरण में वर्तमान प्रचलित दर पर वार्षिक ब्याज देय होगा। निर्धारित समयावधि में किश्त की राशि जमा न होने पर यह समझौता स्वयमेव निरस्त माना जाएगा।

ii. इस तिथि के बाद इस योजना के अन्तर्गत राहत (छूट) देय नहीं होगी तथा यदि ऋणी द्वारा कोई राशि जमा करा दी गयी है, तो वह उसके खाते में बकाया राशि में समायोजित कर दी जाएगी।

(10) एकमुश्त समझौता हेतु सलाहकार कमेटी :–

1. अध्यक्ष / प्रशासक / प्राधिकृत अधिकारी	– अध्यक्ष
2. प्रबंध संचालक / मुख्य कार्यपालन अधिकारी	– सदस्य सचिव
3. बैंक के मुख्यालय जिले का उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं (जिस जिले में संबंधित बैंक का मुख्यालय स्थित है)	– सदस्य
4. बैंक का सांविधिक लेखा परीक्षक / सतत् लेखा परीक्षक	– सदस्य

(11) समझौता हेतु सक्षम प्राधिकारी :–

योजनांतर्गत रागझौता हेतु संबंधित बैंकों के संचालक मण्डल राक्षग प्राधिकारी होंगे। योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण योजना की कंडिका 10 में गठित सलाहकार कमेटी द्वारा किया जायेगा। कमेटी की अनुशंसा पर समझौते के अन्तर्गत राहत (छूट) राशि संबंधी सभी निर्णय बैंक के बोर्ड की बैठक में लिया जायेगा।

(12) योजना के क्रियान्वयन की शर्तें :–

i. इस योजना का क्रियान्वयन सम्बन्धित बैंक के बोर्ड द्वारा योजना के अंगीकरण पश्चात् ही किया जायेगा।

ii. योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाएगी तथा स्वविवेक का स्थान नहीं होगा।

iii. बैंक द्वारा इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा ताकि राहत चाहने वाले ऋणियों को इस योजना की जानकारी हो सके तथा बैंक द्वारा ऐसे सभी ऋणी खातेदारों को पत्र द्वारा भी अनिवार्यतः सूचित किया जायेगा।

iv. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु सूचना, बैंक द्वारा लिखित में संबंधित हितग्राहियों को तामिल कराए जाने के अतिरिक्त, हितग्राही के पंजीकृत मोबाईल नंबर पर SMS भेजकर, बैंक के अधिकृत वेबसाईट में सूचना प्रकाशन कर, बैंक के कार्यक्षेत्र में सर्वाधिक प्रसारित न्यूनतम 02 दैनिक समाचार पत्रों में सूचना का प्रकाशन कर तथा बैंक के प्रत्येक शाखा में नोटिस बोर्ड में चस्पा कर हितग्राहियों को दी जाएगी।

v. योजना लागू होने के दिनांक से 01 सप्ताह के भीतर दैनिक समाचार पत्र मे विज्ञापन प्रकाशन, 01 माह के भीतर सूचना की तामिली की जानी होगी तथा हितग्राहियों से प्राप्त आवेदनों का निराकरण 01 माह की समयावधि में अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

vi. प्राप्त आवेदन पत्रों को पंजी में क्रमशः पंजीबद्ध किया जायेगा।

vii. योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पर स्वीकृति अथवा अस्वीकृति संबंधी कार्यवाही से आवेदक को कारण सहित अवगत कराया जायेगा।

viii. बैंक में एकमुश्त समझौता योजना लागू होने से पूर्व प्रस्तुत, स्वीकृत या लंबित समस्त आवेदन निरस्त माने जायेंगे। केवल योजना लागू होने के बाद प्राप्त नए आवेदन ही ग्राह्य किये जाएंगे।

ix. एकमुश्त समझौता योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राहत (छूट) की राशि संबंधित बैंक द्वारा स्वयं वहन की जायेगी। इसके लिए शासन या भारतीय रिजर्व बैंक से कोई भी वित्तीय सहायता देय नहीं होगी।

x. योजना के दायरे में लाये गये समस्त ऋण प्रकरणों एवं राहत (छूट) प्रदान की गयी राशि की विस्तृत जानकारी, जिसमें योजना से लाभान्वित ऋणियों के नामवार राहत राशि, वसूली की राशि तथा किश्त आदि का विवरण होगा, बैंक के वार्षिक आमसभा में समस्त सदस्यों को प्रदान करना अनिवार्य होगा।

xi. योजना का लाभ प्राप्त करने के पश्चात् लाभान्वित ऋणी सदस्यों को आगामी एक वर्ष तक बैंक से पुनः प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण प्राप्त करने की सुविधा नहीं होगी तथा किसी अन्य ऋण प्रकरण में जमानतदार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकेगा।

xii. योजना लागू करने हेतु कोई अन्य वित्तीय या वैधानिक औपचारिकता या अनुमति आवश्यक हो तो उसे पूरा करने का दायित्व संबंधित बैंक की होगी।

xiii. एकमुश्त समझौता योजना के क्रियान्वयन में संबंधित बैंक द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 43(A) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

xiv. समझौता के क्रियान्वयन हेतु गठित परीक्षण कमेटी द्वारा प्रकरणवार ऋणों के उपयोग का भौतिक सत्यापन तथा एकमुश्त समझौता योजना के शर्तों के तहत पात्रता का परीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

xv. योजना के क्रियान्वयन में सभी शर्तों के पालन की सम्पूर्ण जवाबदारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की होगी।

इस योजना के क्रियान्वयन में अधिनियम, नियम तथा उसके अधीन रजिस्ट्रार द्वारा जारी आदेशों–निर्देशों, भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड के इस संबंध में जारी नवीनतम दिशा–निर्देश से विचलन न हो, का विशेष ध्यान रखा जावे।

पंजीयक

सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

एकमुश्त समझौता योजना 2023 (पूववर्ती बैंक)

(पंजीयक का पत्र दिनांक 03/02/2023)

1. **पात्रता** :– दिनांक 31/03/2022 पर 6 वर्ष से अधिक कालातीत एवं संदिग्ध हो गये हो, एवं जिनके विरूद्ध बैंक द्वारा शत् प्रतिशत प्रावधान किया जा चुका हो।

2. **अपात्रता** :–

   1. गबन–धोखाधड़ी एवं जानबूझकर चूककर्ता के प्रकरण।
   2. ऋण का दुरूपयोग।
   3. पूर्ववती बैंक के बोर्ड के सदस्यों के प्रकरण।

3. **सैटलमेंट फार्मूला** :– एन.पी.ए. वर्गीकरण दिनांक पर कुल बकाया ऋण अथवा समझौता दिनांक पर कुल बकाया ऋण दोनों में से जो भी कम हो + उस पर 6 प्रतिशत साधारण ब्याज

4. **सलाहकार कमेटी** :– प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण निम्नानुसार सलाहकार कमेटी द्वारा किया जावेगा –

   - अध्यक्ष/प्रशासक/प्राधिकृत अधिकारी – अध्यक्ष
   - प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी – सदस्य सचिव
   - बैंक के मुख्यालय जिले का उप पंजीयक – सदस्य
   - बैंक का सांविधिक लेखा परीक्षक/सतत् लेखा परीक्षक – सदस्य

   उपरोक्त सलाहकार समेटी के अनुशंसा पर संचालक मंण्डल द्वारा एकमुश्त समझौता अंतर्गत छुट के संबंध में निर्णय लिया जावेगा।

5. **योजना कियान्वयन की शर्ते** :–

   - योजना लागू होने के दिनांक से 1 सप्ताह के भीतर दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशन, तथा 1 माह के भीतर सूचना की तामिली की जानी होगी।
   - आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु बैंक द्वारा लिखित में संबंधित हितग्राहियों को सूचना प्रेषित किया जायेगा। साथ ही साथ पंजीकृत मोबाईल पर SMS भेजकर, बैंक के वेबसाईट में सूचना प्रकाशित कर, तथा 2 दैनिक समाचार पत्रों में सूचना का प्रकाशित कर एवं शाखा में नोटिस बोर्ड में चरपा कर, दी जाएगी।

     प्राप्त आवेदनों का निराकरण 1 माह की समयावधि में अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

- योजना लागू होने के बाद प्राप्त नए आवेदन ही ग्राह्य किये जाएंगे।
- बैंक के वार्षिक आमसभा में वसूली की राशि तथा किश्त आदि का विवरण सम सदस्यों को प्रदान करना अनिवार्य होगा।
- लाभान्वित ऋण सदस्यों का आगामी 1 वर्ष तक बैंक से पुनः प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप ऋण प्राप्त करने की सुविधा नहीं होगी तथा किसी अन्य ऋण प्रकरण में जमानतदार रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकेगा।
- बैंक को धारा 43(A) के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

7. योजना की अवधि :– दिनांक 31/03/2024 तक।